पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

गेसू का वांगा

ग्राम पंचायत - शरम,

तहसील व ब्लॉक - बिछीवाड़ा

जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गांव का इतिहास - गेसू का वांगा गाँव में पुराने जमाने में राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। पुराने समय में लोग टेड़े-मेढ़े नालों(खाड़े) में बैलगाड़ी से जोत करके लघु वन उपज और सागवान आदि की इमारती लकड़ी आदि ले जाते थे। उस समय गाँव के आस-पास बैल गाड़ियाँ गुजरने से धूल(गेहुडा) उड़ती थी। उस धूल के गुबार के कारण से गाँव का नाम गेसू का वांगा(नाला) पड़ गया। गाँव में एक पुराना धार्मिक स्थल है जो भाटी जी और एक अम्बे माँ का मंदिर है।

गांव का एक परिचय - डूंगरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर दक्षिण-पश्चिम में गेसू का वांगा गांव बसा हुआ है जिसकी ग्राम पंचायत शरम और ब्लॉक तथा तहसील बिछीवाड़ा है। गांव में 145 परिवार रहते हैं। आबादी करीब 825 है। गांव में दो फले हैं- कल्याण बावसी फला और स्कूल वाला फला है जिनको उपला फला और निचला भी कहते है। गाँव के आदिवासियों में डामोर, खराड़ी, मनात, खाट, वेरात और वरहात आदि उपजातियाँ और सामान्य वर्ग में राजपूत समाज के लोग रहते हैं। गांव के लोग गेहूं, मक्का, सरसों, सौंफ़ तुअर, उड़द, कपास, चावल, जौ और चने आदि की फसल पैदा करते हैं। गाँववासियों की खेती की जमीन पहाड़ी की ढलान, पथरीली एवं उबड़ खाबड़ है जिससे बरसात में पैदा होने वाली मात्र एक फसल पर निर्भर है और कुछ समतल भूमि जिसमें गेहूं और धान भी पैदा होता है जिन लोगों के पास सिंचाई के साधन है1 पहाड़ी की ढलान, पथरीली एवं उबड़ खाबड़ जमीन में दो-चार महीने खाने भर का अनाज पैदा होता है बाकी समय खाने की व्यवस्था के लिए दैनिक मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। गाँववासियों में शिक्षा का अभाव है क्योंकि वह गरीबी के कारण बच्चों को पढ़ा पाने में असमर्थ है। कम उम्र में ही बच्चे कमाने के लिए बाहर शहरों में चले जाते हैं। गाँव में गाँव सभा का गठन 15 दिसंबर 2017 में हुआ और शिलालेख 17 जनवरी 2018 को हुआ। पेसा कानून की समझ अभी कुछ गाँववासियों को है महिलाओं को पेसा कानून की समझ थोड़ी कम है। गाँव के लोगों को दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीदारी के लिए 10 किलोमीटर दूर गुजरात के मेगरज बाजार जाना पड़ता हैं।

आवागमन की स्थिति - गेसू का वांगा डूंगरपुर से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण-पश्चिम दिशा में बसा हुआ है। डूंगरपुर से गेसू का वांगा जाने के हेतु मेवाड़ा तक बस से जाते है मेवाड़ा आगे गाँव के लिए टेम्पो/टेक्सी या निजी वाहन से या पैदल चार किलोमीटर जाना पड़ता है। कभी-कभी टेम्पो/टेक्सी मिलते हैं जो घंटों इन्तजार के बाद मिलते हैं और वे भी पूरे उपर-नीचे ओवरलोड भरने के बाद ही चलते हैं। आदिवासी परिवार पहाड़ियों पर बसे हुए हैं। वहां आने-जाने के लिए कच्चे रास्ते हैं। चार पहिया वाहन वहां नहीं पहुंच सकता। बरसात के दिनों में वहां पैदल चल पाना मुश्किल होता है। मुख्य सड़क से गांव के फलों तक जाने के लिए कोई साधन नहीं चलता है। पैदल या अपने साधन से मुख्य सड़क तक आना-जाना पड़ता है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - गांव में एक आंगनवाड़ी है और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। उस विद्यालय में लगभग 98 बच्चे पढ़ते हैं और तीन अध्यापक हैं। अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। ज्यादातर बच्चों को अक्षर ज्ञान तक नहीं है। गाँव में मरीजों

के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। नजदीकी उप स्वास्थ्य केंद्र शरम में है, जो गांव से चार किलोमीटर दूर है। मरीज की स्थिति अगर गंभीर है तो उसको मेवाड़ा(7 किलोमीटर) या डूंगरपुर ले जाना पड़ता है। गाँव के आस-पास कोई दवा की दूकान भी नहीं है। पशु अस्पताल भी गांव में है नहीं है। वह 7 किलोमीटर दूर मेवाड़ा में है। डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए 7-8 युवाओं को डूंगरपुर जाना पड़ता है।

गांव की समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार है-

आवागमन की कमी - गांव गेसू का वांगा डूंगरपुर से 40 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम दिशा में बसा हुआ है। डूंगरपुर से गेसू का वांगा जाने के लिए मेवाड़ा तक बस से जाना होता है आगे पैदल ही जाना पड़ता है कभी कभी आगे के लिए टेम्पो/टेक्सी या निजी वाहन भी मिल जाते हैं। एक चार-पांच सवारी की क्षमता वाले वाहन में पन्द्रह सौलह सवारी भेड़ बकरियों की तरह ठूस-ठूस कर भरी जाती है। आदिवासी परिवार पहाड़ियों पर बसे हुए हैं। वहां आने जाने के लिए कच्चे रास्ते हैं। चार पहिया वाहन वहां नहीं पहुंच सकता। मुख्य सड़क से गांव में जाने के लिए कोई साधन नहीं चलता है। पैदल या अपने साधन से मुख्य सड़क तक आना पड़ता है।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - गांव का पूरा रकबा 945 बीघा है जिसमें कृषि जमीन 600 बीघा और बेनामी जमीन 145 बीघा है। गांववासियों की जमीन पहाड़ों की ढलान पथरीली एवं उबड़-खाबड़ है जिससे उनके पास कृषि लायक भूमि नहीं है। किसी तरह से बरसात में होने वाली फसल ही पैदा कर पाते हैं सूखा पड़ने पर वह भी नहीं हो पाती है। गांव के समतल जमीन और कुछ पहाड़ियों के ढलान पर खेती होती है लेकिन बाकी खाली पड़ी जमीनों और पहाड़ियों के उपयोग का गांव के लोगों के पास किसी भी प्रकार की योजना नहीं है। जमीन और पहाड़ियों को कब्जे में लेकर उसे उसी तरह छोड़ दिया गया है। ज्यादातर पहाड़ियां ना तो उनके नाम है न ही उनको अभी तक अधिकार पत्र ही मिले हैं। गांव में एक नाला है जिसे गेसु का नाला कहते हैं वह भी दिसम्बर तक सूख जाता हैं। इसलिए गर्मियों में एक से दो किलोमीटर दूर से पानी सिर पर ढो कर लाना पड़ता है। गाँव में एक एनीकट बना हुआ हैं। गांव में करीब 60 कुँए है सारे सूखे है 40 हैण्डपम्प हैं जिनमें से एक दो को छोड़कर कोई चालू नहीं हैं। फसल सिंचाई के लिए कुछ लोगों ने निजी ट्यूबवेल लगा रखे हैं जिनमें बरसात के बाद जल स्तर नीचे चला जाता है। पीने के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है। गर्मियों में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण लोग गहराई का पानी पीते हैं जिससे फ्लोराइड की मात्रा और बढ़ जाती है। गांव में शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था के लिए कोई आर. ओ. प्लांट नहीं है।

कृषि और रोजगार की स्थिति - गाँव की उपजाऊ समतल जमीन पर वह गेहूं, मक्का और चना आदि की खेती करते हैं। गाँववासी पशुपालन में बकरी, भैंस, गाय और बैल भी रखते हैं। गाँव के लोगों के पास पथरीली, उबड़-खाबड़, पहाड़ी की ढलान वाली ही जमीन है जिन पर वह खेती करते हैं। वह भी मात्र एक फसल की खेती कर पाते हैं। उनके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है। उनके पास इतनी कृषि भूमि भी नहीं है कि वह लोग सिंचाई की कोई व्यक्तिगत

व्यवस्था कर सके। इसलिए वह साल भर में मात्र एक फसल ले पाते हैं। गाँववासियों के पास कृषि भूमि कम होने के कारण वह मनरेगा में मजदूरी करते हैं या गुजरात के विभिन्न शहरों में दैनिक मजदूरी के लिए चले जाते हैं। जहां वह 250 से 300 रुपए तक की दैनिक मजदूरी करके अपने परिवार का किसी तरह भरण पोषण करते हैं।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं –

संसाधन	हालत	संभावनाएं
जल नाला एनिकट कुआं हैंडपंप ट्यूबवेल	गांव में एक नाला है जिसे गेसु का नाला कहते हैं नाला भी दिसम्बर तक सूख जाता हैं। इसलिए गर्मियों में एक से दो किलोमीटर दूर से पानी सिर पर ढो कर लाना पड़ता है। गाँव में एक एनीकट बना हुआ हैं। गांव में करीब 60 कुँए है सारे सूखे है 40 हैण्डपम्प हैं जिनमें से एक दो को छोड़कर कोई चालू नहीं हैं। फसल सिंचाई के लिए कुछ लोगों ने निजी ट्यूबवेल लगा रखे हैं जिनमें बरसात के बाद जल स्तर नीचे चला जाता है। पीने के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है। गर्मियों में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण लोग गहराई का पानी पीते हैं जिससे फ्लोराइड की मात्रा और बढ़ जाती है।	पहाड़ों के दर्रे पर एनीकट का निर्माण कर दिया जाए तो गांव के लोगों की सिंचाई का संकट दूर हो सकता है। तो जलस्तर भी ऊंचा हो जाएगा। और गांव में गर्मियों में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है। गांव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि	गांव का पूरा रकबा 945 बीघा है जिसमें कृषि जमीन 600 बीघा और बेनामी जमीन 145 बीघा है। जो पथरीली, उबड़-खाबड़, पहाड़ी की ढलान वाली है जिस पर वह खेती करते हैं। वह भी मात्र एक फसल की खेती कर पाते हैं। उनके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है। गाँव की बहुत सारी जमीन बेकार पड़ी हुई है जिस पर कुछ पैदा नहीं किया जा रहा है।	गांव की कुछ जमीनों का समतलीकरण करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। चारागाह भूमि, जो पहाड़ियां बिला नाम की हैं तथा गाँव की बेकार पड़ी जमीन को गांव सभा के अधीन करके उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है और उससे आय के साधन बनाए जा सकते हैं। जो जमीन लोगों के खातेदारी में हैं उस पर कुछ पैदा नहीं किया

		जा रहा है और वह जमीन खाली पड़ी है तो उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। जिससे लोगों की आय के साधन बढ़ सकते हैं। सब्जी की खेती भी करके आय बढ़ाई जा सकती है।

पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी – गांव के कुछ लोग बकरी, गाय, बैल और भैंस पालते हैं। चारे के संकट के कारण पशुपालन नहीं हो पाता। कुछ लोगों के पास 1-2 गाय, बैल और बकरियाँ ही पशु के नाम पर हैं। गाय एक से डेढ़ लीटर दूध देती है जो केवल बच्चों के पीने के काम आता है। उनके लिये बकरी पालन भी कर पाना कठिन है क्योंकि उनको चारा चराने की जगह उनके पास नहीं है। मार्च के बाद गरीबी के कारण चारा भी खरीद पाने की स्थिती में नहीं हैं।

आजीविका के साधनों की कमी – खेती, पशुपालन और मनरेगा में मजदूरी के अलावा और कोई भी रोजगार का साधन गांव में नहीं है। जिन लोगों के पास खेती ज्यादा है वह लोग कृषि और पशुपालन में लगे हैं। जिनके पास कृषि भूमि कम है उन परिवारों के लोगों को गुजरात के शहरों में दैनिक मजदूरी करने जाना पड़ता है क्योंकि मनरेगा में काम भी कम दिन ही मिलता है। मजदूरी भी 100रु. प्रति दिन से कम ही मिलती है जिससे उनके परिवार का गुजारा हो पाना मुश्किल है।

सरकारी योजनाओं से वंचितों की स्थिति – ज्यादातर गांव के लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। गाँव में राशन की दुकान नहीं है वह है शरम में 5 किलोमीटर दूर है। कुछ लोगों के आवास बने भी हैं तो उनका भुगतान बाकी है। सौ दिन काम नहीं मिलने से वह श्रमिक कार्ड से वंचित हैं। कुछ लोगों की पेंशन पाने की उम्र भी हो चुकी है लेकिन पहचान पत्र में उनकी उम्र कम होने से पेंशन नहीं मिल पा रही है। उम्र संशोधन कराने की एक तो जानकारी नहीं है और दूसरा अगर इसके लिए कुछ लोग प्रयास भी करते हैं तो कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग नहीं मिलता। यही हाल राशन की दुकानों पर भी है। कुछ लोगों का अंगूठा निशान नहीं मिलने से राशन नहीं मिलता है। कभी कभी राशन की गुणवत्ता खराब होती है। गेहूं के अलावा ना तो उनको चावल और चीनी मिलती है और न ही मिट्टी का तेल मिलता है जिसके कारण लोगों को रात अंधेरे में बितानी पड़ती है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को पढ़ने की होती है क्योंकि बिजली भी समय से नहीं मिलती है और जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं है उनको तो बहुत परेशानी उठानी पड़ती है।

गांव सभा द्वारा चिन्हित समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं उनकी वरीयता –

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक /	वरीयता

					दीर्घकालिक	
1	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	गांव की बहुत सारी जमीन उबड़ खाबड़ पड़ी हुई है जमीन उबड़ खाबड़ होने के कारण रास्ते बनाना कठिन है 1 रास्तों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं पंचायत द्वारा किया जाता है जिसमें भी भ्रष्टाचार व्याप्त है 1 लोग रास्तों के लिए अपनी जमीन देने के लिए आनाकानी करते हैं रास्तों के निर्माण में यह भी एक बाधा है 1	गांव सभा कमेटियों के गठन के बाद जहां जहां रास्ते नहीं है वहां के प्रस्ताव लिए गए हैं और उसे पंचायत की एक्शन प्लान में शामिल करवाने के बाद रास्ते का संकट का समाधान होने की संभावना है।	**तात्कालिक**	
2	**शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होना**	**सार्वजनिक**	गाँव में बच्चों के शिक्षा का स्तर एकदम निम्न है क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए न तो अध्यापक है और न हीं कमरे हैं सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता और उनकी शिक्षा नीति के कारण न तो अध्यापकों की नियुक्ति हो पा रही है न ही कमरों का निर्माण हो पा रहा है।	इस समस्या के समाधान के लिए गांव सभा में निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग और जिला अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा और इसके लिए ब्लॉक के अन्य गांवों की भी मदद ली जाएगी।	**तात्कालिक**	
3	**कृषि संबधी**	**व्यक्तिगत /**	अच्छे बीजों का	खेतों का	**तात्कालिक**	

	समस्या	**सार्वजनिक**	अभाव है खेत उबड़ खाबड़ है और पानी की कमी है1 गांव वाले परंपरागत तकनीक से खेती करते हैं1	समतलीकरण, बरसात का पानी रोकने के लिए खेतों की मेड़ बंदी तथा कच्चे चेक डैम का निर्माण और खेत तलावड़ी का निर्माण करना। गांव के नाले में पानी रोकने की योजना। बागवानी पर भी विशेष ध्यान देना।		
4	**आवास निर्माण, पेंशन और उसके भुगतान संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत**	गरीबी के कारण बहुत से लोग अपने लिए आवास नहीं बना सकते हैं। गांव में जिन लोगों को आवास की बेहद जरूरत है उनके आवास नहीं बने हैं। जो सक्षम लोग हैं उनके आवास बन गए हैं। जिन लोगों के आवास बन भी गए हैं उनमें से कुछ लोगों का भुगतान नहीं हुआ है।	गांव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण के लिए आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेन्शन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।	**तात्कालिक**	
5	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	लोग कई पीढ़ियों से गांव में बसे हैं लेकिन जितनी भूमि पर वह काबिज है उसकी खातेरदारी का हक उनको नहीं मिला है। सरकार की अघोषित नीतियों के कारण राजस्व विभाग ने	काबिज भूमि पर सामूहिक दावा करना। पट्टे की जमीन जिसकी पैनल्टी राजस्व विभाग ने लेना बंद कर दिया है उसे कोर्ट में जमा करना क्योंकि पेनल्टी नहीं देने से पट्टा खारिज हो जाएगा और धारा 91 के अनुसार काबिज	**दीर्घकालिक**	

			खातेदारी हक देना बंद कर दिया है। जिसके कारण भविष्य में उनकी जमीन आसानी से छीन जाने का संकट खड़ा हो गया है।	जमीन का नियमन कराना। गाँव सभा द्वारा सबकी फाइल तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा करना।		
6	**पेयजल की समस्या**	**सार्वजनिक**	जल स्तर नीचे चला गया है। गहराई से निकले पानी में फ्लोराइड की समस्या है। जल संरक्षण पर कोई ध्यान नहीं देना। जल स्रोत ढेर सारे होने के बावजूद गर्मियों में पानी की समस्या आती है।	शुद्ध पीने के पानी के लिए बरसात के पानी को रोककर पीने लायक करके पीना। हैंडपंप में आर. ओ. प्लांट लगाना। बरसात के पानी को रोकने की बेहतर योजना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण।	**तात्कालिक**	

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	**W- Weakness कमजोरी**	**O- Opportunities अवसर**	**T- Threats चुनौतियां**
आवागमन - गांव में पक्की सड़कें कच्चे रास्ते	उबड़-खाबड़ जमीन। गांव के लोगों द्वारा मांग करने के बावजूद पंचायत और जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्यान नहीं देना। सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा पंचायत गांव वालों द्वारा निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप नहीं करना। पगडंडी को चौड़ी करने पर जमीन मालिकों द्वारा विवाद करना।	रास्ते ठीक होने से गांव में साधन आ जा सकते हैं जिससे छोटे मोटे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी।	का कमेटियों गांव मजबूत ना होना। सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और गाँव के लोगों में जागरूकता की कमी।
जल	निम्न भू जल स्तर।	नए एनिकट बनाना।	पंचायत द्वारा इस

एनिकट, नाला कुआं बोरवेल हैंड पंप	पहाड़ों के दर्रे में एनीकट नहीं बनाना। कुओं को रिचार्ज नहीं करना। गाँव में जल की कमी ना हो इसके लिए गांव के लोगों की जागरूकता में कमी।	बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गांव में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है जिससे सिचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता हैं।	चुनौती से निपटने को कोई कार्ययोजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता।
आजीविका के साधन	गांव की सभी पहाडियाँ और बहुत सारी जमीन खाली पड़ी हैं, गांव में रोजगार के साधन का अभाव। कृषि उत्पादन की कमी। अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव।	गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों पर वृक्षारोपण, चारागाह का अच्छा प्रबंधन, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, सब्जी के खेती से आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं।	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती कीजमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। उन्नतशील बीज का अभाव। जमीन और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी।

गांव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा –

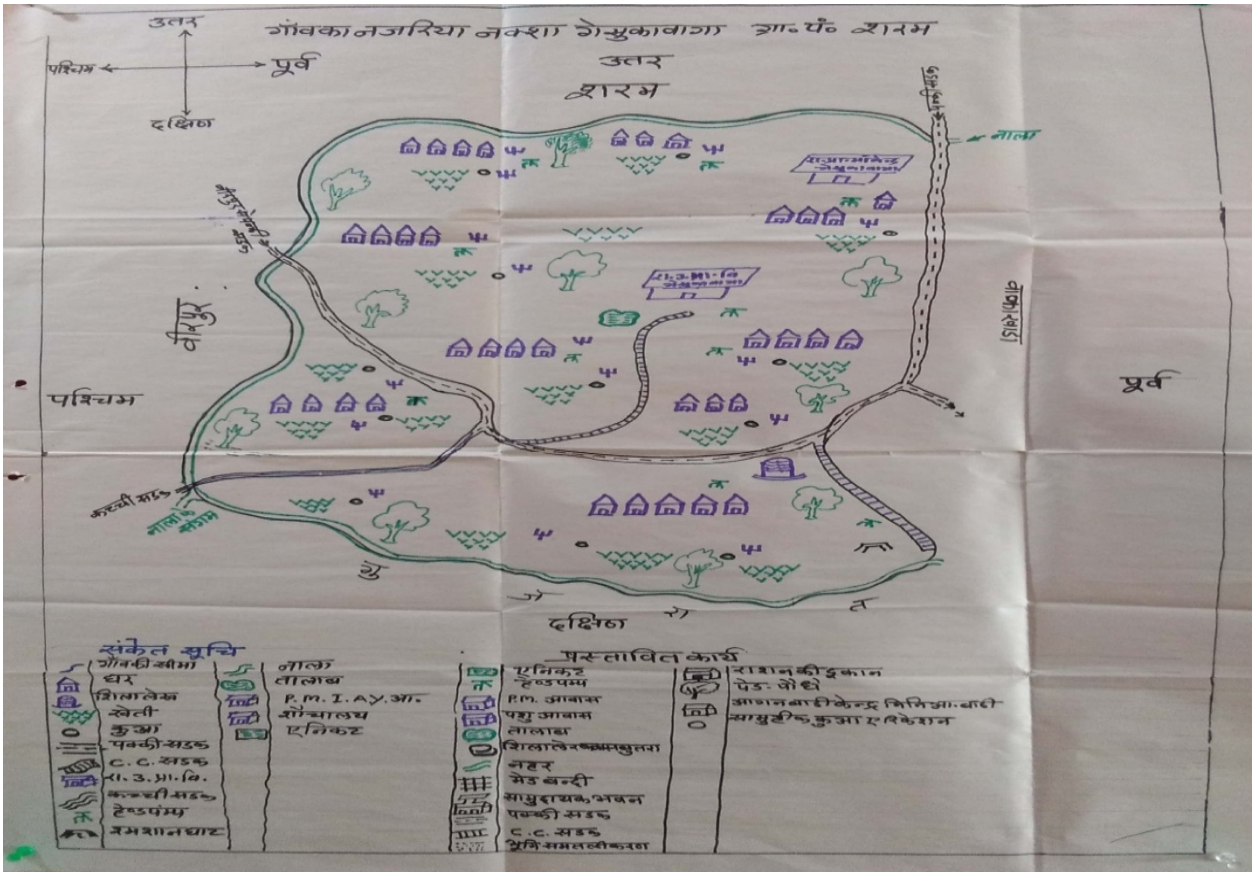

नजरिया नक्शा गेसू का वांगा

गांव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण –

प्रस्ताव क्र.	प्रस्ताव	लाभर्थियों की संख्या	लाभर्थी परिवारों की संख्या
1	पेंशन के संबंध में		
	वृद्धा पेंशन नए आवेदन	7	7
	वृद्धा पेंशन पुनः चालू करवाना	1	1
	विधवा पेंशन	1	1
	एकल नारी पेंशन	2	2
	पालनहार योजना	7	7
2	प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना	9	9
3	शौचालय	1	1

4	स्कूल के संबंध में अध्यापकों की नियुक्ति नए कमरों का निर्माण पुराने भवन की मरम्मत परकोटा निर्माण शौचालय का निर्माण पानी की व्यवस्था	1	गाँव के समस्त परिवार
5	उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने के संबंध में	1	गाँव के समस्त परिवार
6	राशन की दुकान खोलने के संबंध में		गाँव के समस्त परिवार
7	सामुदायिक भवन निर्माण के संबंध में शिलालेख पर	1	गाँव के समस्त परिवार
8	रास्ता निर्माण के संबंध में		
	मुख्य सड़क से श्मशान घाट तक अधूरे सी रोड .सी. करना पूरा को रोड	1	--
	मनोहर मोगा वर हाथ के घर से पीपला तक सी .सी. निर्माण सड़क	1	--
	पीपल वाला मेन रोड से गुजरात सीमा तक सी .सी. बनाना के पुलिया मय सड़क	1	--
9	तालाब गहरीकरण - भूतिया तालाब का गहरीकरण करना	1	गाँव के समस्त परिवार
10	नए हैंडपंप लगाना और पुराने हैंडपंप की मरम्मत	7	--
11	चेक डैम निर्माण मरम्मत/2	2	2
12	एनीकट निर्माण मीठी महुडी नाले पर एनीकट निर्माण	1	गाँव के समस्त परिवार
13	खेत समतलीकरण ,कुआ गहरीकरण ,पशु बाड़ा निर्माण	23	23
	कोर दीवार निर्माण 1. रत्नाफला जोशीयाला से घर के धारा/जोशीयाला फला पगी परिवार तक नाले पर कोर दीवार का निर्माण। 1. धना तक घर के पूंजा/मंगला से घर के खातरा/ कोर पर नाले तक घर के बाबूहाथी हुए होते (नाला सीमा गुजरात) निर्माण का दीवार	2	गाँव के समस्त परिवार

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया –

गेसू का वांगा – गाँव सभा में प्रस्ताव लिखते लोग

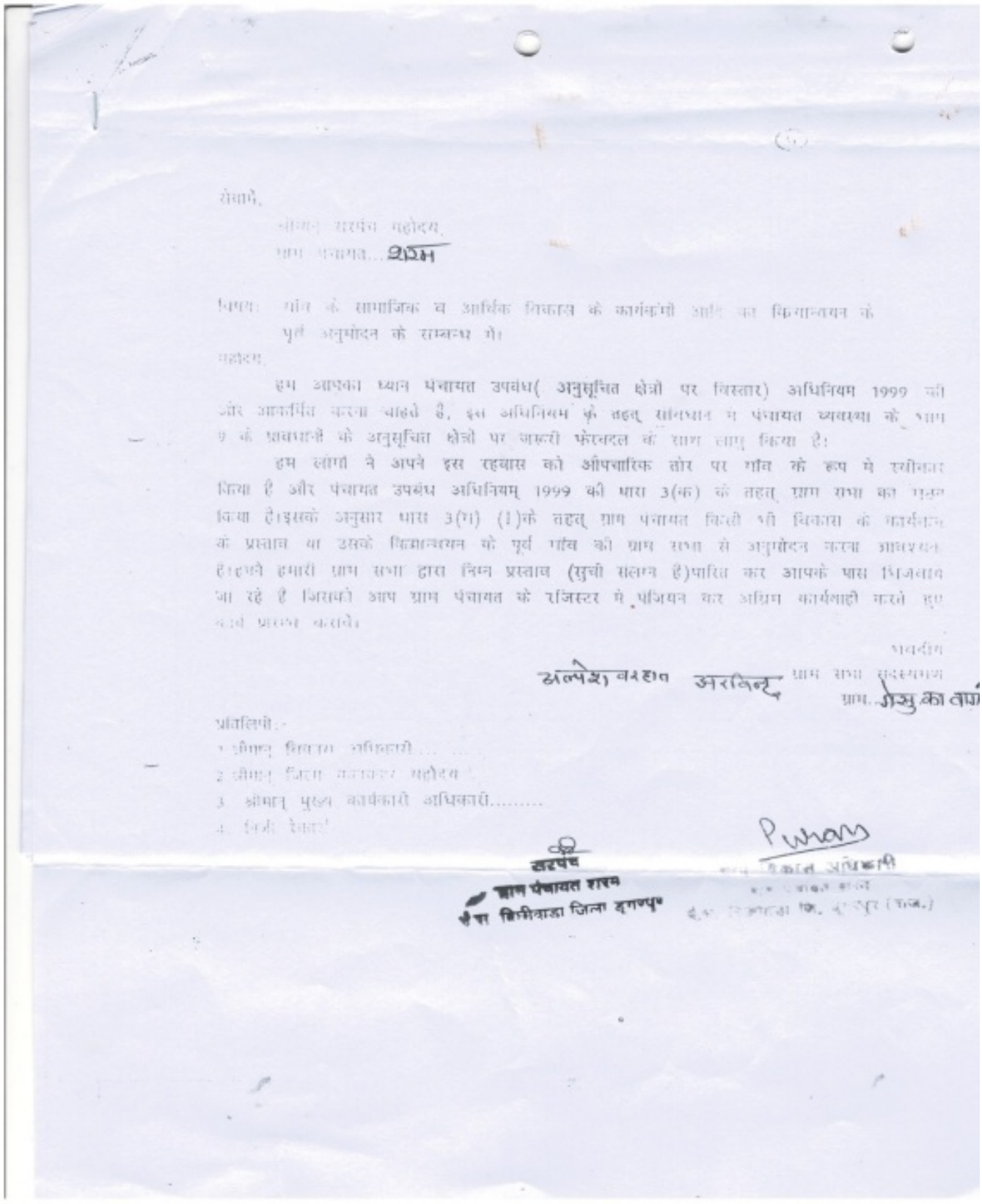

सेवामें,

श्रीमान् सरपंच महोदय,

ग्राम पंचायत... शरम

विषय: गांव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्रो पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते है, इस अधिनियम के तहत् संविधान मे पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रो पर जरूरी फेरबदल के साथ लागू किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गांव के रूप मे स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम् 1999 की धारा 3(क) के तहत् ग्राम सभा का गठन किया है।इसके अनुसार धारा 3(ग) (I)के तहत् ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गांव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है।इसी हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सूची संलग्न है)पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर मे पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय

अल्पेश वरहात अरविन्द ग्राम सभा सदस्यगण

ग्राम. गेसु का वांगा

प्रतिलिपी:-

1 श्रीमान् विकास अधिकारी... ...

2 श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय

3 श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी.........

4 निजी रेकार्ड

सरपंच

ग्राम पंचायत शरम

पं.स. बिछीवाड़ा जिला डूंगरपुर

Puran

विकास अधिकारी

पंचायत समिति

बिछीवाड़ा जि. डूंगरपुर (राज.)

प्रस्ताव कवरिंग लेटर गेसू का वांगा

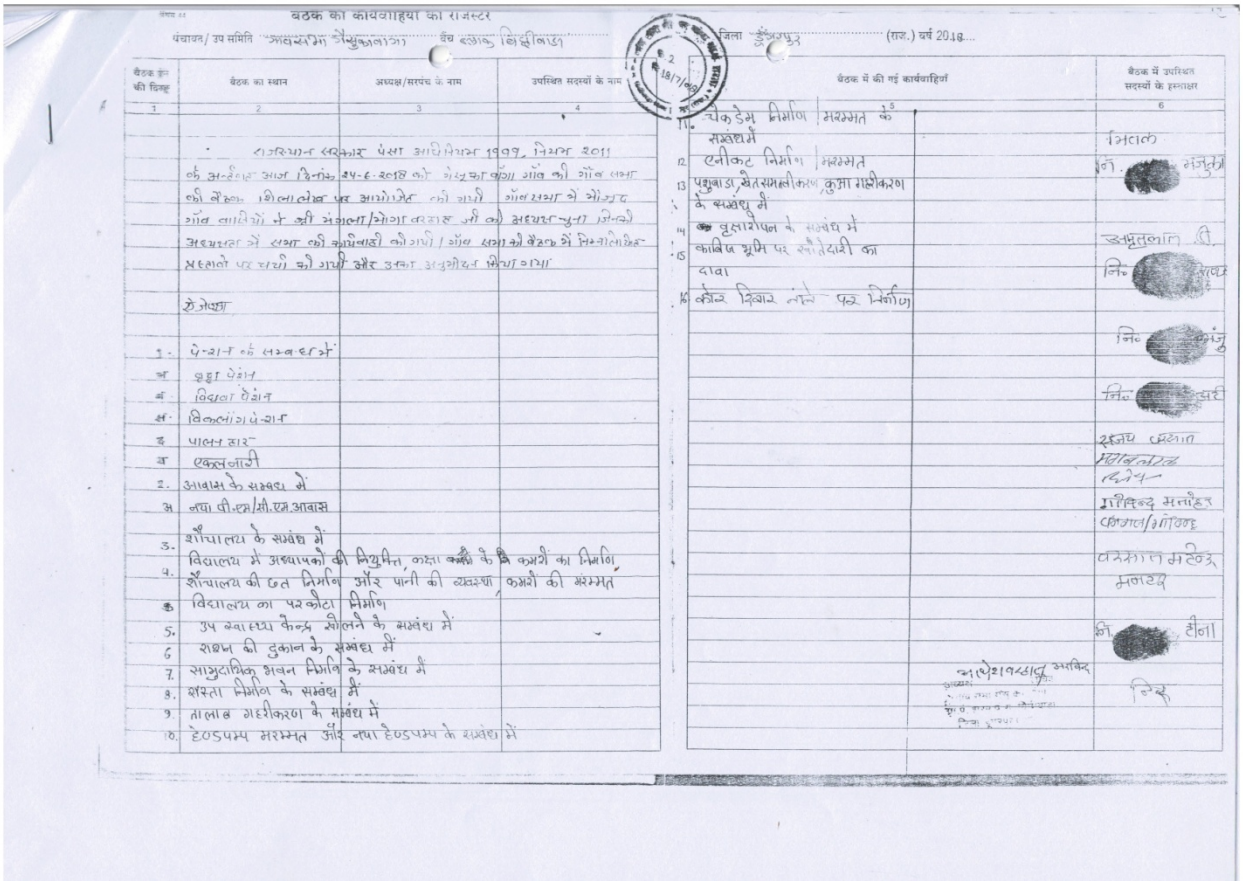

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत/उप समिति अवस्थम झेसुकागा ब्लॉक बिछीवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज.) वर्ष 2018

बैठक होने की दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

राजस्थान सरकार पेसा अधिनियम 1999, नियम 2011 के अन्तर्गत आज दिनांक 25-6-2018 को ग्राम सभा गाँव की गाँव सभा की बैठक ... पर आयोजित की गयी। गाँव सभा में मौजूद गाँव वासियों ने श्री ... की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही की गयी। गाँव सभा की बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा की गयी और उनका अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा

1. पेन्शन के सम्बन्ध में
अ. वृद्धा पेंशन
ब. विधवा पेंशन
स. विकलांग पेंशन
द. पालनहार
य. एकलनारी
2. आवास के सम्बन्ध में
अ. नया पी.एम./सी.एम आवास
3. शौचालय के सम्बन्ध में
4. विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति, कक्षा के कमरों का निर्माण, शौचालय की छत निर्माण और पानी की व्यवस्था, कमरों की मरम्मत
अ. विद्यालय का परकोटा निर्माण
5. उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में
6. राशन की दुकान के सम्बन्ध में
7. सामुदायिक भवन निर्माण के सम्बन्ध में
8. रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में
9. तालाब गहरीकरण के सम्बन्ध में
10. हेण्डपम्प मरम्मत और नया हेण्डपम्प के सम्बन्ध में
11. चेकडेम निर्माण/मरम्मत के सम्बन्ध में
12. एनीकट निर्माण/मरम्मत
13. पशुबाड़ा, खेत समतलीकरण, कुआ गहरीकरण के सम्बन्ध में
14. वृक्षारोपण के सम्बन्ध में
15. काबिज भूमि पर खातेदारी का दावा
16. कोर दिवार नाले पर निर्माण

प्रस्ताव प्रथम पेज

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

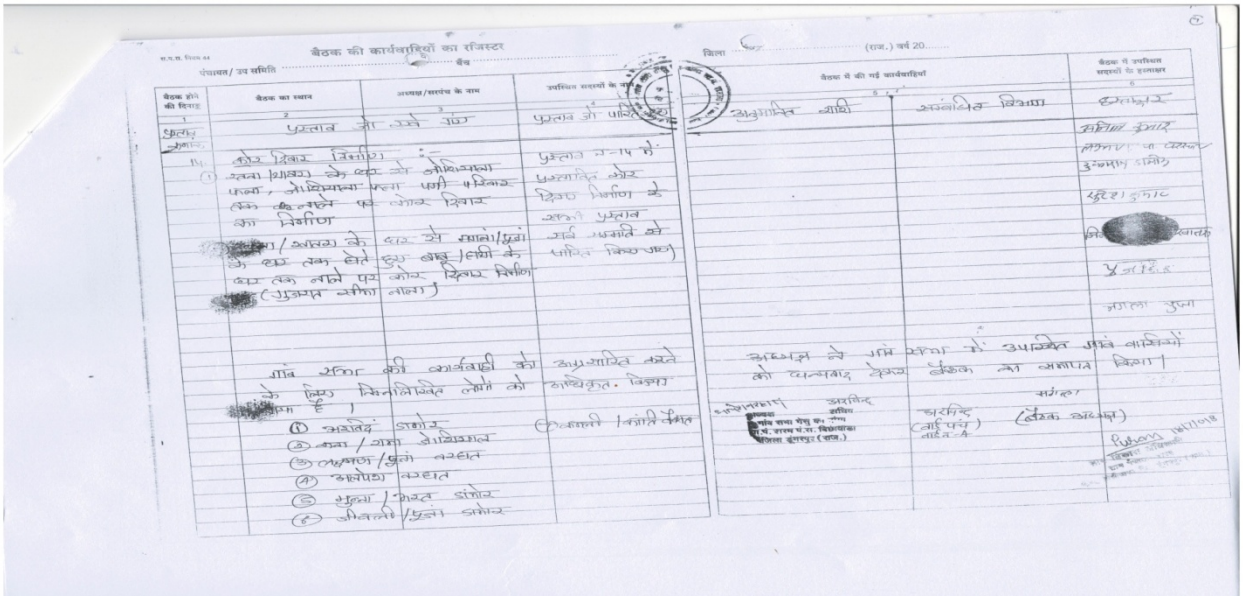

बैठक होने की दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ		बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5		6
प्रस्ताव क्रमांक	प्रस्ताव		प्रस्ताव जो पारित हुए	अनुमानित राशि	संबंधित विभाग	
14	कोर दिवार निर्माण		प्रस्ताव न-14 के प्रस्तावित कोर दिवार निर्माण के सभी प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया			

गाँव सभा की कार्यवाही को अनुमोदित करने के लिए निम्नलिखित लोगों को अधिकृत किया गया है।

अध्यक्ष ने सभी सभा में उपस्थित सभी वासियों को धन्यवाद देकर बैठक का समापन किया।

प्रस्ताव अंतिम पेज

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम(V.P.F.T) –

नाम	फोन न.
1. लक्ष्मण वरहात s/o पूंजा वरहात –	9687194943
2. अल्पेश कुमार वरहात s/o भोगीलाल वरहात –	7874034441